

कार्यालय,
साधिय, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता / 2020 / 1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

—कार्यालय ज्ञाप—:

अधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली/फार्मेसी कारबनिसल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शीक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरात प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद् कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्द-३ में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखि निर्णय लिया गया :-

“मिही क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सार्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।”

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई०/परिषद् द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4888	आई०टी०प्र० पॉलिज ऑफ फार्मेसी, महाराजगढ़।	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् यिनियमाली 1992, सेमेस्टर यिनियमाली-2016 तथा अन्य निर्भीत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निधारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय हजार० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/-प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बद्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्भीत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही की जायगी।

[Signature]

- जाना आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु कीस का पुनर्निवारण किया जाता है, तो पीस की नवीनतम दरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (ठ0प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियाँ, सरस्याओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमादली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
 - ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिश्ता रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
 - ✓ भवधा की समय-समय पर निर्माता शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
 - ✓ संस्था को ए0आइटी0टी0इ०/पी0सी0आई० से जागानी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विवि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाब्य होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पीसीआई० नहू दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समलैट उत्तरवाचित्व संस्था का होगा और विविक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था रख्य उत्तरवाची होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बाद दावर बाद के संबंध में मा. च्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति रखकी जाएग निर्माता विया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को ऊर्जी होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम शासालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध पश्चाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था सत्र पर भीष्य प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
 - ✓ उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आखण्ण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था को अपने वेबशाइट पर संस्था की समस्त शूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठियाँ, स्टाफ, साज-सामग्री, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
 - ✓ संस्था को लिखण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में तमत्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 - ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को बलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फार्माचर उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
 - ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुकासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० आरएक० सिंह)
संचिय

प०स०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

उद् दिनीक 15-09-2020

प्रतिलिपि:-प्रधानाधार्य/निदेशक, आई०टी०एम० कॉलेज ऑफ फार्मेसी, महाराजगंज।

(डा० आरएक० सिंह)
संचिय